राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

संशोधन प्रार्थना पत्र संख्या 32/2012/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
सीमावर्ती, उडनदस्ता,सवाईमाधोपुर — प्रार्थी

बनाम

मैसर्स एस.बी.ग्रेनाइट लिमिटेड
लाल कोठी, जयपुर — अप्रार्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः

श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक — प्रार्थी की ओर से

श्री विवेक सिंघल
अभिभाषक — अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 30.06.2018

निर्णय

यह संशोधन प्रार्थना पत्र व्यवहारी की ओर से अपील संख्या 389/2011/जयपुर अपील सहायक वाणज्यिक कर अधिकारी,सीमावर्ती,उडनदस्ता, सवाईमाधोपुर बनाम मैसर्स एस.बी.ग्रेनाइट लिमिटैड,लाला कोठी,जयपुर में कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.06.2012 में संशोधन हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 33 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 6.4.2009 को वाहन संख्या आरजे जीए–0623 को खेरदा सवाईमाधोपुर मे चैक किया। वक्त चेकिंग वाहन में स्टोन लदा हुआ था, जिससे सम्बन्धित दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक ने मैसर्स बालाजी रोड केरियर,शिवपुरी की बिल्टी नम्बर 527 दिनांक 5.4.2009 एवं मैसर्स बालाजी स्टोन पोलिशिंग इण्ड. शिवपुरी मध्यप्रदेश का इनवाईस नम्बर 175 दिनांक 5.4.2009 एवं खनिज व्यापारी अभिवहन पास नं. 35124/28 आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि मैसर्स एस.बी. ग्रेनाईट लिमिटैड, जयपुर के टिन नम्बर 08041756570 द्वारा राज्य के बाहर शिवपुरी, मध्य प्रदेश से आयात किया जा रहा था, जिसके साथ वैट–47 होना आवश्यक है, परन्तु उक्त घोषणा पत्र के बारे में माल प्रभारी/वाहन चालक ने अनभिज्ञता जाहिर की। अतः राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 76(2) (बी) सपठित नियम 53 का उल्लंघन मानते हुए वाहन चालक/माल प्रभारी को धारा 76(6) एवं धारा 76 (12) के अन्तर्गत दिनांक 13.04.2009 के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में दिनांक 8.4.2009 को श्री किशनचन्दानी, सेल्स मैनेजर, मैसर्स एस. बी. ग्रेनाईट, जयपुर ने उक्त कम्पनी की

ओर से धारा 76(7)के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बताया कि उक्त परिवहनित माल मैसर्स एस. बी. गेनाइट लिमिटेड, जयपुर ने शिवपुरी, मध्य प्रदेश से मंगाया है अतः धारा 76 (7) के तहत प्रत्यर्थी व्यवहारी को पार्टी बनने की अनुमति दी जावे । कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त माल पर मालिकाना हक मैसर्स एस.बी.गेनाइट लिमिटेड, जयपुर का होने के कारण पार्टी बनने की अनुकत प्रदान कर दी। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बताया कि कम्पनी ने सप्लायर को यह निर्देश दिये थे कि उक्त माल वह सीधे ही मूण्दडा पोर्ट (गुजरात) को भेजे अैर उक्त माल राज्य के बाहर से खरीद कर सीधे ही मूण्दडा पोर्ट गुजरात निर्यात हेतु भिजवा दिया इसलिए वैट–47 की कोई आवयकता नहीं है। परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान वैट नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई भी पंजीकृत व्यवहारी राज्य के बाहर से कोई भी कर योग्य माल जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित हो, यदि विक्रय हेतु आयात करता है तो घोषणा पत्र वैट–47 आवश्यक है और विक्रय हेतु आयात से सभी प्रकार का विक्रय शामिल है। उक्त विधिक प्रावधानों के तहत कर निर्धारण अधिकारी ने माल की कीमत रू. 80190/– पर 30 प्रतिशत की दर से 76(6) के अन्तर्गत शास्ति रू.24057/– एवं धारा 76(12) के अन्तर्गत कर रू. 10024/–कुल रू. 34,081/–की मांग सृजित करने का आदेश दिनांक 8.4.2009 को पारित किया। उक्त सृजित मांग के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने पत्रावली के पेज 3 पर उपलब्ध जी आर संख्या 527 दिनांक 4.5.2009 में डिलेवरी एट मूंदडा पोर्ट अंकित है, इसलिए परिवहनित माल एम.पी.से सीधा गुजरात जाने की स्थिति में वैट–47 की आवश्यकता नही मानकर सृजित मांग को अपास्त कर दिया था, जिससे असन्तुष्ट होकर सहायक वाणज्यिक कर अधिकारी,सीमावर्ती,उडनदस्ता, सवाईमाधोपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत करने पर, कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अस्वीकार की गई थी, जिसमें संशोधन हेतु संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

संशोधन प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुए व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने मैसर्स बालाजी स्टोन पोलिशिंग इण्ड., शिवपुरी, मध्य प्रदेश के इनवाई संख्या 175 दिनांक 5.4.2009 से ग्रेनाइट स्टोन एच फार्म पर निर्यात हेतु कीमतन रू. 80,190/–का खरीदा तथा श्रीबाला जी रोड केरियर की जी आर संख्या 527 दिनांक 4.5.2009 से मूंदणा पोर्ट (गुजरात) के लिए भेज दिया। उनका कथन है कि चूँकि माल मध्य प्रदेश से सीधा गुजरात जा रहा था, इसलिए वैट–47 की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने बताया कि उक्त माल वास्तव मे एस.एन.एन.ग्रेनाइट

ऑयरलैण्ड (विदेश) के लिए निर्यात हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि कर निर्धारण अधिकारी को नोटिस के जवाब के साथ शिपिंग एक्सपार्ट सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत किए, फिर भी उन्होंने वैट नियम 53(1)(i) का उल्लंघन मानकर शास्ति एवं कर आरोपित कर दिया, जो विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल है। उनका कथन है कि नियम 53 में यह कहीं भी अंकित नही है कि डिलीवरी कहां दी जायेगी और ना ही उसमें इस तथ्य उल्लेख नहीं है कि विक्रय राज्य के भीतर किा जायेगा या राज्य के बाहर। उनका कथन है कि हस्तगत प्रकरण में माल मध्य प्रदेश से गुजरात के लिए भेजा गया है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.06.2012 में संशोधन करने का अनुरोध कर प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। का उल्लेख किया गया है

राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि वक्त जांच वाहन में परिवहनित माल से सम्बन्धित दस्तावेज मागे जाने पर वाहन चालक ने बिल्टी एवं जी आर प्रस्तुत की है,जिनकी जांच पर पाया गया कि माल का आयात शिवपुरी, मध्य प्रदेश राज्य के बाहर से जयपुर आयात किया है जिसके साथ घोषणा पत्र वैट–47 नहीं होने के कारण नोटिस जारी करने पर प्रस्तुत जवाब को सन्तोषप्रद नहीं मानकर कर निर्धारण अधिकारी ने विधिक प्रावधानों के तहत कर निर्धारण अधिकारी ने माल की कीमत रू. 80190/– पर 30 प्रतिशत की दर से 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रू. 24057/– एवं धारा 76 (12) के अन्तर्गत कर रू. 10024/–कुल रू. 34,081/–की, जिसको अपीलीय अधिकारी ने अविधिक रूप से अपास्त किया है। उनका कथन है कि राज्य के बाहर से माल आयात करने पर आज्ञापक प्रावधान है कि उसके साथ वैट–47 रखा जाये, जिसके अभाव में शास्ति आरोपित किया जाना विधिक है, जिसको अपीलीय अधिकारी ने अविधिक रूप अपास्त किया है, अतः अपीलीय अधिकारी का आदेश अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि कर बोर्ड द्वारा अपील सुनवाई के समय प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन बहस के आधार पर निर्णय दिनांक 28.06.2012 पारित किया गया है,जिसमें कोई भूल रिकार्ड से परिलिक्षित नहीं होती है। उनका कथन है कि अधिनियम की 33 सपठित पुराना अधिनयम की धारा 37 के प्रावधानो के अनुसार उन्हीं भूलों का सुधार किया जा सकता है,जो रिकार्ड से परिलक्षित होती है तथा वाद–विवाद के आधार पर संशोधन करना उक्त अधिनियम के प्रावधानों की परिधि में नही आता है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मक्कड प्लास्टिक एजेन्सी (टैक्स अप डेट 29 पेज

253) को उद्धृत करते हुए कथन किया कि चेतन मस्तिष्क से पारित किये गये निर्णय में संशोधन किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा संशोधन प्रार्थना पत्र की सुनवाई के समय प्रस्तुत बहस के दौरान प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। मूल अपील संख्या 389/2011/जयपुर में सुनवाई के समय प्रस्तुत बहस, उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों, अपीलीय अधिकारी के आदेश में अंकित न्यायिक दृष्टान्तों पर पूर्ण विचार करने के पश्चात एवं प्रकरण तथ्यों के पर समग्र रूप से विचार करने के पश्चात कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा निर्णय दिनांक 28.06.2012 पारित किया है। निर्णय दिनांक 28.06.2012 के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी की ओर से संशोधन प्रार्थना पत्र की सुनवाई के समय प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों की भावना को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय दिनांक 28.06.2012 पारित किया गया है। कर बोर्ड की एकलपीठ पारित द्वारा निर्णय दिनांक 28.06.2012 में रिकार्ड से कोई भूल परिलक्षित नही होती है, इसलिए अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत प्रकरणों के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक नही है। अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत उन्हीं भूलों का संशोधन किया जा सकता है, जो बिना वाद–विवाद के रिकार्ड से परिलक्षित होती हो। निर्णय दिनांक 28.06.2012 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत संशोधन प्रार्थन पत्र रिकार्ड की भूल से सम्बन्धित न होकर विधि की विवेचना से सम्बन्धित है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मक्कड प्लास्टिक एजेन्सी (टैक्स अप डेट 29 पेज 353) के प्रकरण में मत प्रतिपादित किया गया है कि चेतन मस्तिष्क के पारित किये गये निर्णय में संशोधन किया जाना उचित नहीं है, जिसका सारगर्भित अंश उद्धरित किया जाना समीचीन है :–

"The scope and ambit of the power which could be exercised under section 37 of the Act of 1994 is circumscribed and restricted within the ambit of the power vested by the said Section. Such a power is neither a power of review nor is akin to the power of revision but is only a power to rectify a mistake apparent on the face of the record. Rectification implies the correction of an error or a removal of defects or imperfections. It implies an error, mistake or defect which after rectification is made right.

In the case of Commissioner of Income Tax, Bhopal v. Ralson Industries Ltd. reported in (2007) 2 SCC 326 a similar situation arose for the interpretation of this Court regarding the scope and ambit of Section 154 of the Income Tax Act vesting the power of rectification as against the power vested under Section 263 of the Income Tax

Act, which is a power of revision. While examining the scope of power of rectification under Section 154 as against the power of revision vested under Section 263 of the Income Tax Act, it was held by this Court as follows at Para 8:-

"8.The scope and ambit of a proceeding for rectification an order under section 154 and a proceeding for revision under Section 263 are distinct and different. Order of rectification can be passed in certain contingencies. It does not confer a power of review. If an order of assessment is rectified by the Assessing Officer in terms of Section 263 is exercised by a higher authority. It is a special provision. The revisional jurisdiction is vested in the Commissioner.

An order thereunder can be passed if it is found that the order of assessment is prejudicial to the Revenue. In such a proceeding, he may not only pass an appropriate order in exercise of the said jurisdiction but in order to enable him to do it, he may make such enquiry as he deems necessary in this behalf."

In paragraph 12 of the said judgment it was also held that when different jurisdictions are conferred upon different authorities, to be exercised on different conditions, both may not be held to be overlapping with each other. While examining the scope and limitations of jurisdiction under Section 154 of the Income Tax Act, it was held thagt such a power of rectification could onlybe exercised when there is an error apparent on the face of the record and that it does not confer any power of review. It was further held that an order of assessment may or may not be rectified and if an order of rectification is passed by the Assessing Authority, the rectified order shall be given effect to. We may also at this stage appropriately refer to yet another decision of this Court in Commissioner of Trade Tax, U.P v Upper Doab Sugar Mills Ltd. reported in (2000) 3 SCC 676, in which the power and scope of rectification was considered and pitted against the scope of review. The aforesaid decision was in the contexst of Section 39(2) of the U.P. Sales Tax(Amendment) Act, 1995 which provides the power of review. Section 22 of the said Act provides for rectification of mistake. In the said decision, it was held that when two specific and independent powers have been conferred upon the authorities, both powers can be exercised alternatively, but, it cannot be said that while exercising power of rectification, the authority can simultaneously exercise the power of review.

Both the aforesaid two decisions which were rendered while considering taxation laws are squarely applicable to the facts of the present case, it is also now an established proposition of law that review is a creature of the statute and such an order of a review could be passed only when an express power of review is provided in the statute. In the absence of any statutory provision for review, exercise of power of review under the garb of clarification/ modification/correction is not permissible. In coming to the said conclusion we are fortified by the decision of this Court in Kalabharati Advertising V. Hemand Vimalnath Naruichania and Others reported in (2010) 9SCC 437.Section 37 of the Act of 1994 provides for a power to rectify any mistake apparent on the record. Such power is vested on the authority tob rectify an obvious mistake which is apparent on the face of the records and for which a reappreciation of the entire records is neither possible nor called for.When the subsequent order dated 22-01-2009 passed by the Taxation Board is analysed and scrutinized it would be clear/apparent that the Taxation Board while passing that order exceeded its jurisdiction by re-appreciating the evidence on record and holding that there was no mala fide intention on the part of assessee-respondent for tax evasion. Such re-appreciation of the evidence to come to a contrary finding was not available under Section 37 of the Act of 1994 while exercising the power of rectification of error apparent on the face of the records. Thus, the orders passed by the Taxation Board on 22-01-2009 as also impunged order and judgment passed by the High Court upholding the said order of the Taxation Board are hereby set aside and quashed and the original order passed by the Assessing Officer is restored.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धान्त के आलोक में चैतन्य मस्तिष्क से पारित किये गये आदेश को इस स्तर पर विधिक रूप से संशोधित नही जा सकता है।

उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये संशोधन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य